न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible]	
	[illegible] — [illegible]-56/2017	
12.03.2020	दिनांक 03.03.2020 से इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो उक्त भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2017 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का पटवारी का बास के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.06.2017 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र राभूराम बनाम् जैसाराम वगै. मुकदमा नम्बर 161/17 अप्रार्थीगण जैसाराम, सुरजाराम, प्रभातीलाल, छिगनलाल, झाबरमल पुत्रगण भूराराम जाट निवासी ढाणी देवन्दावाली तन् मालाकाली व प्रेमदेवी पत्नि गणपत, गणपत पुत्र कानाराम जाट निवासी दिवराजमानपुरा हाल ढाणी देवन्दावाली तन् मालाकाली के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 30.11.17 को निर्णय/आदेश फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पत्थरगढ़ी	

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	रामूराम बनाम भूमि.प्रा. तहसीलदार हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुक. 86/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किये जाने हेतु आदेश दिये जाने पर दिनांक 30.11.17 को पत्थरगढ़ी कर दी गयी थी। जिसको दिनांक 2.6.2018 को अप्रार्थीगण जैसाराम वगै0 द्वारा उखाड़ कर चोरी कर ले जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/19 अन्तर्गत धारा 447, 379, 427 आई.पी.सी. के तहत दर्ज होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 447, 434 आई.पी.सी. के तहत आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क.स. 1 श्रीमाधोपुर में पेश किया जा चुका है। प्रार्थी की भूमि की जो पत्थरगढ़ी की गई थी उसको उखाड़कर चोरी कर ले जाने एंव पुनः पत्थरगढ़ी नहीं होने से प्रार्थी को सख्त हक तलफी होने से प्रार्थी ने पुनः पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का पटवारी का बास द्वारा दिनांक 09.06.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2429 रकबा 0.51 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पटवारी का बास तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू. अ. निरीक्षक फीस 900/- रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति

41

Scanned with CamScanner

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

......रामू...... बनाम ......भूमिधारी तहसीलदार......

किस्म मुकदमा ......प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी...... नं. ......86...... सन 2019......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
309/RA 12-3-20	पेश होने पर पटवारी हल्का पटवारी का दारा द्वारा दिनांक 09.06.2017 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.03.30 15:03:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: